हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 1 सितम्बर, 2025

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–128 / 2025.——हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 16) जो आज दिनांक 1 सितम्बर, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

——————————

2025 का विधेयक संख्यांक 16.

हिमाचल प्रदेष (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संषोधन विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 11क का अंतःस्थापन।
3. धारा 15 का संशोधन।

————————————

2025 का विधेयक संख्यांक 16.

हिमाचल प्रदेष (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संषोधन विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम.——(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन अधिनियम, 2025 है।

2. धारा 11क का अंतःस्थापन.——हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

'11क. पथ कर द्वारा वहन किए जाने वाले कतिपय माल के बकाया के निर्धारण हेतु विशेष उपबन्धः—इस अधिनियम में या तद्धीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी व्यक्ति, सम्प्रवर्तक/स्वामी आदि द्वारा संदेय कर शास्ति, ब्याज या कोई अन्य देय के निर्धारण हेतु सरकार, राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा अधिनियम के अधीन कर शास्ति ब्याज, के संदाय जो किसी भी अवधि से सम्बंधित हो, सहित बकाया देय राशि और उसके सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों में ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों जैसे उक्त स्कीम में सीमावधि सहित विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यधीन स्कीम अधिसूचित कर सकेगी।''।

3. धारा 15 का संशोधन.——मूल अधिनियम की धारा 15 ,—

(क) प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा; और

(ख) द्वितीय परन्तुक में ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा।

——————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश (सड़क पर कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 की धारा 15 का परंतुक सरकार पर एकमुश्त कर के सम्वर्धन की बाबत प्रतिबंध लगाता है। ऐसी स्थितियों के निवारण के आशय से जहां सरकार से उपरोक्त अधिनियमिति के अधीन पचास प्रतिशत से अधिक की कर की वृद्धि की अपेक्षा की जाती है, वहां संबंधित अधिनियमितियों में से उक्त परंतुक का लोप किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, देय बकायों के निर्धारण के दृष्टिगत जिन्हें विवादित मांग और बकाया देयों की तीव्र वसूली के कारण वसूल करना कठिनतम हो गया है, निर्धारण स्कीम प्रस्तुत/प्रारम्भ करने हेतु एक सबल उपबंध के अंतस्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

शिमलाः
तारीखः................................., 2025

——————

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

——————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

————————

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें
(नस्ति संख्याः ईएक्सएन–ए(3)–3/2025)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2025 की विषय वस्तु के सम्बन्ध में सूचित किए जाने पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधानसभा में विधेयक को पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

——————————

हिमाचल प्रदेष (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संषोधन
विधेयक, 2025

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

————————

(षरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

शिमलाः
तारीखः......................., 2025

——————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 16 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2025

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Insertion of section 11A.
3. Amendment of section 15.

Bill No. 16 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Amendment Act, 2025.

2. Insertion of section 11A.—In the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after section 11, the following section shall be inserted, namely:—

> **"11A. Special provision for settlement of arrears of Certain Goods Carried by Road Tax.—**Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, or rules framed thereunder, the Government may notify a scheme for the settlement of outstanding dues and matters connected therewith or incidental thereto, including payment of tax, penalty or interest related to any period, subject to such conditions and restrictions as may be specified in the scheme, covering period of limitation, rate of tax, penalty, interest or any other dues payable by a person, proprietor or owner, etc.".

3. Amendment of section 15.—In the principal Act, in section 15,—

(a) the first proviso shall be omitted; and

(b) in the second proviso, the word "further", shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The proviso to section 15 of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999, imposes restriction on the Government with regard to enhancement of tax in one go. In order to take care of situations wherein the Government is required to increase the tax under the aforesaid enactment beyond fifty percent, the proviso in respective enactments needs to be omitted. Further, with a view to settle outstanding arrears that have been difficult to recover due to

disputed demand and to expedite recovery of outstanding dues, enabling provision for introducing a settlement scheme needs to be inserted.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA:

THE……………, 2025

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(File No. EXN-A(3)-3/2025)

The Governor, Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Amendment Bill, 2025, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2025

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Pr. Secretary (Law).

SHIMLA:
THE……….., 2025.